246
11/9/12

खण्ड - 9

सत्यमेव जयते

संख्या - 18, 20

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-2, कार्यवाही प्रश्नोत्तर-रहित)

मंगलवार, तिथि : 19 जुलाई, 1988 ई०

बृहस्पतिवार, तिथि : 21 जुलाई, 1988 ई०

गयी तब उसकी जाँच के लिए सिकन्दरा पुलिस को दिया गया। इस संबंध में उनलोगों ने यह तय भी किया था कि इस केस को दो थाना में एस्टेब्लिश्र करेंगे और उस थाना में घोषणा करने के बाद भी, सारे रिपोर्ट के बाद भी वहाँ यह घटना घटी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ।

सरकारी वक्तव्य

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं कृतज्ञ हूँ माननीय सदस्यों का, उस तरफ के या इस तरफ के, जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया है। कुछ स्वर थे नकारात्मक, जो हतोत्साहित करनेवाले, दंश देने वाले। कुछ स्वर थे जिसने उत्साह दिया, बल दिया कि आगे इस प्रान्त को विधि व्यवस्था में और मजबूत और सुदृढ़ और ऊंचा उठाया जाय। दोनों स्वरों का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक हमें अपनी कमजोरियों की अपनी विवशताओं की, अपनी मजबूरियों की, अपनी कठिनाईयों की याद दिला रहे थे, तो दूसरा मुझे उन्हीं कठिनाईयों से बचने, जीने में उत्साह दे रहे थे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस डिबेट का स्वागत करता हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज नहीं वर्षों वर्ष से हमारी छवि बिहार की हमारे प्रान्त की हमारे प्यारे प्रान्त की, इस राज्य के बाहर ऐसी धूमिल है, जो इस लायक नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि इस प्रान्त में जो विधि व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ महीनों से है, पिछले कुछ वर्षों से है, उसकी तुलना की जाय। हम अपनी विधि व्यवस्था की तुलना करके ही बता सकते हैं कि कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। एक तो तुलनात्मक दृष्टि है, एक सम्पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि को मैं मानता हूँ कि हमें इस बात से संतोष नहीं करना चाहिये कि अपने यहाँ इतनी ही गलती हुई है, इतने ही क्राइम हुये हैं, लेकिन तुलना की दृष्टि से अगर देखा जा तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से लस्कर में ऊँट बदनाम होता है, उसी तरह

इस सारे देश में बिहार की विधि व्यवस्था की दृष्टि से बदनाम किया गया है। आज हमारे बहुत से मित्रों ने आंकड़ा दिया है और बताया है। आंकड़े कुछ मेरी दृष्टि से सही थे और कुछ गलत। मैं भी चाहता हूँ उन आंकड़ों को आपके समक्ष रखूँ, जिन आँकड़ों के सहारे आप निर्णय स्वयं कर सके। ये आंकड़े सिर्फ मेरे यहाँ, मेरी सरकार के बनाये हुए नहीं है।

अध्यक्ष महोदय। ये आँकड़े हैं, जो अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र सरकार विभिन्न प्रान्तों के लिये बताती है। इसलिये मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह कि अगर इस प्रदेश को अपराध की दृष्टि से देखा जाय तो अपराध की गणना के जो तरीके है, वह एक लाख गिना जाता है तो आँकड़ा टोल आफेंस का पूरा आंकड़ा को लिया जाय तो वह पूरा आँकड़ा एक लाख में 146.1 है सारे हिन्दुस्तान में यह 180.5 है। सारे हिन्दुस्तान का एवरेज 180.5 है, वहीं बिहार का 146.1 है और उसी तरह से अगल बगल के पड़ोसी उत्तरप्रदेश को लें 147.2 है, मध्यप्रदेश का 292.4 है और इसलियें चाहे अगल बगल के प्रान्तों के लें, चाहे अखिल भारतीय स्तर पर लें, इस तरह बिहार की टोटल संख्या जो है, वह कम ही है। मैं माननीय सदस्यों को यह नहीं कहना चाहता हूँ कि इससे संतोष कर लें, लेकिन जब आप आँकड़े सही लेते हैं जब आप किसी स्थिति का दिग्दर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से स्वयं अपने और अगल बगल की पृष्ठभूमि का उल्लेख करना ही पड़ेगा। मैं इस आंकड़े का चाहे हत्या को, डकैती की, रोबरी के तुलनात्मक जवाब दूँ और बता दूँ कि इस प्रान्त में कम है। एक बात का जो देना चाहता हूँ हमारे प्रान्त में सामूहिक हत्या की घटनायें अधिक हुई है और इस कारण से इस दृष्टि से डकैती, रोबरी दूसरे प्रान्तों की कमाई कम बढ़ी है। हमारे पिछले 6 महीनों में जो इस प्रदेश में घटना हुई वह हत्यायें सामुहिक हत्यायें जैसे नगमा नोनही की

घटनायें हुई हैं, तो तुलना में स्वयं बुरी है। माननीय सदस्यों ने बहुत से उदाहरण व्यक्तिगत तथा सामूहिक दिये हैं, उन सारे उदाहरणों को ले लिया जाय और एक तरफ रखा जाय और सम्पूर्ण बिहार वहाँ इतने हजार गाँव और इन हजार गाँवों में जो हत्यायें हुई हैं और इस घटना का उल्लेख आपने किया, मान भी लें तो जिन हत्याओं की मैं जाँच कर रहा है; आगे हम बतला दें कि इस संबंध में हमने क्या किया है। क्या पुलिस हमारी सरकार में आजाद हो गयी है, उसके संबंध में आगे हमलोगों की आँकड़ा बतायेंगी। जिसकी भेरीपाई कर सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुलना में सारे प्रान्त को लिया जाय, सारी आबादी को लिया जाय, सारे गाँवों को लिया जाय, सारी घटनाओं को लिया जाय तो इस तुलना में, हम समझते हैं कि सम्पूर्ण प्रान्त में विधि व्यवस्था ठीक ही है। यह नहीं कि सिर्फ 100 घटनाओं का उल्लेख करके यह कह दें कि सारी बात गलत है। यह आपकी नजरिया है, देखने का, हम समझते हैं कि आप विरोधी पक्ष में हैं, आपकी देखने की नजरिया अलग है फिर भी यह कहने के बावजूद आप हमें मजबूर करते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, बचाव चाहते हैं और बचाव का काम कोई जादू से, अपने हाथ से नहीं करते हैं बल्कि उसी पुलिस से करते हैं, उस पुलिस से जिनके बारे में आपने कहा कि जिन्होंने गलती की, उनको सजा दी जाय। आपकी हर बात की मान्यता दी जायं, यह कैसे संभव है लेकिन आज बिहार पुलिस में 75,000 आदमी हैं। इसी सदन में माननीय सदस्य, श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, जब आप एक तरफ पुलिस की शासन की शिकायत करते हैं और जो शिकायत के लायक हो, उनको सजा दीजिए लेकिन 75,000 में हजारों-हजार वैसे पुलिस हैं, जो आपकी सेवा में बराबर मुस्तैद हैं और बिहार जैसे बड़े प्रान्त में काम करते हैं। जरुरत किस बात की आज है? जरुरत इस बात की है, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री मृगेन्द्र प्रताप

सिंह ने कहा, पुलिस में आधुनिकीकरण, इसके लिये उपकरण की जरुरत है। आज हमारे प्रदेश में जो अपराधकर्मी हैं, जो अपराधकर्मी नगवाँ हत्याकांड कर गये, जैसा कि जहानाबाद में हुआ।

लोक दल की ओर से आवाज : पड़रिया के बारे में कहिए।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य, आप शांत रहिए, पड़रिया के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, हमारे पास आँकड़ें हैं, फैक्टस फीगर में दे सकता हूँ। मैंने उस दिन कहा था, मैंने समझा कि आप समझ गये होंगे लेकिन आप कुछ समझ नहीं पाते हैं तो मैं क्या करुँ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था, कि जब सदन में यह बात कही जाती है कि अमुक जिलाधीश, अमुक बी०डी०ओ०, अमुक सी०ओ०, अमुक दारोगा ने गलती की तो मैं इसकी जाँच करवाता हूँ, अगर सदन कह दे। मैं किसी पर ।वेश्वास नहीं करता इसलिये कि एक अगर बदनाम होता है तो सारे जिले का मिशन बदनाम हो जाता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत से अच्छे लोग हैं, जिनके बल पर हम राज्य चला रहे हैं, जिनके बल पर माननीय सदस्य चल रहे हैं। लेकिन इसमें आपके दृष्टिकोण में, हमारे दृष्टिकोण में विभेद है। आप 5,10,100,500 जो आपके गिनने की बात है, उनके आधार पर सारे शासन व्यवस्था, सारी पुलिस को बदनाम आप करते हैं। मैं कहता हूँ कि इनलोगों पर भी इनक्वायरी करायी गयी, जाँच करायी गयी और सजा भी दी गयी है और आगे भी जाँचोपरान्त दोषी पाये जाने पर सजा दी जायेगी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें भी अच्छे लोग हैं, बिहार में अगर कोई एक घटना घटती है, एक गलती हुई तो आप वैसे हजारो-हजार घटनाओं को नहीं सुनते हैं जिनको हमारी पुलिस ने रोका है, घटना को नहीं होने दिया। इसलिये हमारे विचार में विधान-सभा के उधर के

माननीय सदस्यों और हमारे बीच में विभेद है। हम किसी घटना का विस्तार इस प्रकार न कर दें कि वह हास्यापद हो जाय। हम किसी घटना को इस प्रकार न रखें जिससे कि सारा प्रदेश, बेईमानी का प्रदेश, डकैतों का प्रदेश, लूटनेवालों का प्रदेश कहा जाय, यह बात उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि इस प्रदेश में गलत लोग हैं या पुलिस गलत काम करती है तो उनको सजा दी जायेगी लेकिन सजा देने का भी तरीका है, हमें तरीके से ही काम करना होगा। आज हजारों-हजार पुलिसकर्मी ऐसे हैं, जो अच्छे हैं, कलक्टर, एस०पी० अच्छे काम करते हैं और इसलिये हम अपने प्रदेश में औरों की तुलना में, बगल की तुलना में अच्छा शासन दे सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपने अधिकतर उदाहरण व्यक्तिगत दिया, पड़रिया कांड का उदाहरण दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक ही कहा माननीय नीतीश जी ने, उन्होंने कहा कि मुझपर आरोप लगाते हैं, उनको आरोप लगाने का हक है, हम शासन के प्रमुख हैं, आप आरोप लगा सकते हैं लेकिन पड़रिया या भभुआ में जो फायरिंग हुआ, फायरिंग का ऑर्डर हमने नहीं दिया, फायरिंग करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, हमने उनको पकड़ा। आपने प्रश्न में यह उठाया कि पुलिस ने पानी नहीं पीने दिया। अध्यक्ष महोदय, उस दिन हमने आसन से कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर अभी हाँ या ना में हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि पुलिस कहती है कि ऐसी बात नहीं की और ये कहते हैं कि पानी नहीं पीने दिया।

इसलिये मैंने वहाँ पर न्यायिक जाँच के लिए इस बात को भी कहा। पहले जाँच करने दीजिए कि यह बात सही है या गलत है। अध्यक्ष महोदय, इससे अधिक क्या मुझसे उम्मीद कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, दृष्टिकोण में मतभेद हो सकता है लेकिन उस मतभेद को सुलझाने का तरीका यही है कि जनता ने कहा कि न्यायिक जाँच कर दो, मैंने न्यायिक जाँच करा दी। अध्यक्ष

महोदय, बार-बार इस प्रश्न को उठाया गया। इस प्रश्न में भी चाहते हैं कि न्यायिक जाँच हो। जाँच होने दीजिए। मान लीजिए कि मुझसे गलती ही हो गयी, आप ही सही हैं लेकिन इसका पता लगाने का एक तरीका है। मैंने कहा कि कोशिश की और हम असफल हुए। इसलिये इसका उपाय है कि जाँच समिति की रिपोर्ट आने दीजिए, हम जिसको दोषी पायेंगे, हम अपने को समर्पित करेंगे न्याय के लिये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूँ कि जो बातें पूर्णियां के बारे में कही गयी और जो लगातार आरोप लगाते हैं, वे गलत हैं, झूठ हैं, मैं हर बातों की जाँच नहीं कराऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जाँच करा रहा हूँ जो जाँच के लायक है, इस प्रदेश में घटना होती है, उन घटनाओं की जाँच डी०आई०जी० से कराता हूँ, उन पर विश्वास नहीं होता हो तो आई०जी० से कराता हूँ। मैं आपकी बात को नहीं मानता हूँ। आप गलत कहते हैं।

श्री अजीत चन्द सरकार : यदि सही नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूँगा।

श्री भागवत झा आजाद : इस्तीफा क्या आप दीजिएगा।

मैं यह कहता हूँ कि अगर संभव नहीं है तो हम डाइरेक्टर जेनरल से कराता हूँ, यदि यह भी संभव नहीं हो और जनता कहती है कि न्यायिक जाँच हो तो न्यायिक जाँच हम कराते हैं लेकिन हर आदमी के मन लायक जाँच नहीं हो सकती है। मैं उदाहरण दे रहा था। आपने उदाहरण दिया है भभुआ और पड़रिया के बारे में। पड़रिया की बात बार-बार आपने कही है। हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में किसी सरकार ने तीन सप्ताह के अन्दर ऐसी जाँच की है। मैं तीसरे दिन वहाँ गया था और 11 आदमी को ससपेंड किया। 13 दिन में सी०आई०डी० की रिपोर्ट आयी जिस पर मैंने कमिटी बैठा दी। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह आवश्यक है अध्यक्ष महोदय कि हम अपने इस जनतंत्र में इस वाद-विवाद में एक दूसरे को सुने और सीखे। हम रमेन्द्र जी की बात बराबर सुनते रहते हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि पड़रिया के पुलिसमैन पर चार्जशीट किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गयी, वे भाग गये तो कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की गयी। कोई दया नहीं दिखायी गयी और आज भी न्यायालय के सामने में है। इस उदाहरण को मैं आगे ले जाते हुए कहा कि ऐसे पड़रिया ही नहीं बहुत जगह हैं जहाँ पर हमने इस तरह के विचार किये। उदाहरण के लिये अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीनों में हमने संपूर्ण प्रदेश में डिपार्टमेंटल एक्शन 627 व्यक्तियों पर लिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने डिसमिस किया, नौकरी से हटा दिया पिछले महीनों में 45 व्यक्तियों को। लेकिन ये 75 हजार में इतने ही थे और लोग अच्छे हैं जिनके बल पर शासन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम आंकड़ों की बात इनको नहीं समझा सकें तो यह हमारी लाचारी है। अगर इन कामों के प्रति इनको हमदर्दी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अदरवाइज पनिश 1 हजार 347 व्यक्तियों को किया गया। इनको सजा दी गयी। हमने डिपार्टमेंटल एक्शन 627 व्यक्तियों पर किया। 45 व्यक्तियों को डिसमिस किया, नौकरी से हटा दिया। 61 केसेज में 111 व्यक्तियों पर एक्शन लिया। ये सारी बातें इस बात की प्रतीक हैं कि हमारी सरकार पुलिस में जो गलत करने वाले लोग हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हम गलत करने वालों को नहीं छोड़ेंगे।

श्री अजीत चन्द सरकार : देख लिया, देख लिया। (शोरगुल)

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के मित्र जो अपनी बात कहते हैं और सुनते नहीं हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि

इस प्रदेश में अच्छी बात को सुनने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हमपर बड़े-बड़े चार्ज लगा दिये। मित्र हैं, मित्र से सुनने में अच्छा लगता है। मैं हरिजन विरोधी हूँ उन्होंने मुझ पर एक और चार्ज लगा दिया। इस अवसर पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक मित्र अपने मित्र के पास गया और उससे कहा कि मित्र मुझे अपना घोड़ा दो। मित्र ने कहा कि घोड़ा नहीं है। थोड़ी देर में घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आई। इस पर मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि मित्र तुमने तो कहा कि घोड़ा नहीं है तो घोड़े की हिनहिनाने से आवाज कहाँ से आई? इस पर मित्र ने कहा कि तुमने घोड़े की हिनहिनाने की आवाज पहचानी, लेकिन मेरी आवाज नहीं पहचानी। तो वीरेन्द्र जी ने उस घोड़े की आवाज पहचानी जो मेरे विरोधी हैं। मेरी आवाज उन्होंने नहीं पहचानी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे चाहे जो भी मुझ पर लांछन लगायें लेकिन मैंने जांतपात कभी नहीं किया। मैं बिहार में दो ही जात को मानता हूँ एक गरीब का जात और दूसरा अमीर का। यह जरूरी है कि अगर बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो जो हम सभी प्रतिनिधि बिहार के विभिन्न भागों से चुनकर यहाँ आये हैं...

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मुख्यमंत्री जी, नोनही नगमा में आपने जो घोषणा की थी उसके बारे में मैं जानना चाहा था।

श्री भागवत झा आजाद : मित्र, मैं उस पर भी आ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो ही बात जानता हूँ कि यदि इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है विधि व्यवस्था लानी है तो विधि व्यवस्था पुलिस के बल पर हथियार के बल पर, सजा के बल पर, रिमूवल के बल पर नहीं आ सकती है। आवश्यकता यह है कि हम जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं पिछले एक

महीने से दिन प्रतिदिन बैठ रहे हैं अगर हमारे दृष्टिकोण में, देखने की नीयत में परिवर्त्तन नहीं हुआ तो हम अपने अधिकारियों के शासन में परिवर्त्तन नहीं ला सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप विरोधी दल प्रहार करते हैं। आलोचना और प्रहार में फर्क होता है। जो मैंने आज तक नहीं किया और न करुँगा। मेरे मित्र मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगायें। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि बिहार में शासन व्यवस्था ठीक करनी है तो जरूरत है कि पहले हम अपने एप्रोच में अपने दृष्टिकोण में परिवर्त्तन लाये। आपने नोनही नगमा की बात कही। मैं वहाँ गया था। मैंने देखा, आपने भी जाकर स्वयं देखा। और लोग भी देखकर आयें। मैंने वहीं आदेश दिया कि इनके सारे घर बना दिये जायें जो बन रहे हैं और बरसात के बाद पूरे बन जायेंगे। वहाँ पर लगभग 15 एकड़ जमीन थी जो सरकार की थी पोखर था। वहाँ के भूपतियों ने उसमें से कुछ जमीन के ले लिया था और उसका रसीद कटवा रहे थे। मैंने रसीद कटवाना बंद करा दिया और सारा जमीन ले लिया गया सरकार द्वारा और वह सारी जमीन हरिजनों में बाँट दी जायगी। उसके अलावे मैंने अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा है कि उनके लिये ऐसी व्यवस्था करें कि उनकी आमदनी बढ़ जाय। दुगुनी तिगुनी ज्यादा हो जाय। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यह अलग वेलफेयर से करेंगे। मैं बिहार की सारी जनता और सारे लोगों को जिनके पास सरकार ने बंदूक का लाइसेंस दिया है वह बंदूके अपनी संपत्ति की रक्षा के लिये है ठीक बात है लेकिन वे बंदूक उस कमुनिटी के लिये उस गाँव की रक्षा के लिये भी निकले। जिस रात यह घटना हुयी उस रात में बंदूक की आवाज नहीं आयी। मैंने कहा कि यह जरूरी है कि बंदूक जो दी गयी है वह बंदूक जप्त कर लिये जायें। प्रश्न साथ-साथ जो हमारे पास आ रहे हैं वह है नगमा और नोनही या जहानाबाद में जो तत्व हैं उग्रवादी हैं, उन्हें तथाकथित उग्रवादी कहेंगे। अपने आपको प्रोगेसिव कहते हैं। प्रोगेसिव के नाम

पर कहते हैं कि जमीन का बंटवारा बंदूक ओर गोली से होगा वह नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ। मैं उन उग्रवादियों से अपील करता हूँ कि कृपाकर यदि उनके जमीन का बंटवारा वास्तव में चाहते हैं कि उनको जमीन मिले उन गरीब हरिजन, हरिजन और पिछड़े जातियों के लोगों को तो जरुरत है कि हिम्मत कर बंदूक जमा कर दीजिये और ओवर ग्राउंड आकर इस बात में साथ दीजिये।

श्री मुंशीलाल राय : सामंतों से बंदूक लेने या सामूहिक जुर्माना करने का क्या हुआ?

श्री भागवत झा आजाद : आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैं अपने कंटेक्सट में कहूँगा। एक के बाद एक प्रश्न का जवाब मिलता जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बंदूक के संबंध में जो कहा कार्रवाई हो रही है। मेरे पास यह भी प्रश्न है कि जहानाबाद, औरंगाबाद, गया में जहाँ भी बंदूक दिये गये हैं। शीघ्र बंदूक दिये गये हैं वे बंदूक भूपतियों को अपनी संपत्ति की रक्षा के लिये ही नहीं है बल्कि जो वहाँ पर अपराधी तत्व जो गिरोह तत्व घूमते हैं उनसे बचाने के लिये दिया है। इसलिये जरुरत इस बात की है कि इन जिलों में जो अपराधकर्मी उग्रवादियों के साथ मिल गये हैं उनको इस बात के लिये चेतावनी दे दें कि सामने आ जायें और सामने आकर काम करें। अगर वे काम कर पायेंगे तो निश्चित ही इस प्रश्न पर विचार कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो इन्होंने कहा कि मैंने उस गाँव में यह बात कही थी कि गाँव में जो लोग सौभाग्यशाली हैं, जो लक्ष्मीपुत्र हैं उनको अपनी संपत्ति का दान देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में अगर इतनी ही विधि व्यवस्था बेकार है तो इसका कारण पुलिस की निष्क्रियता नहीं है इसका कारण है कि हमारे और उनके बीच में काफी खाई है। अमीर और गरीब के

बीच खाई है इसलिए जरूरत है भूमि सुधार के प्रश्नों की कड़ाई से पालन करने का और हम उस पर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह बंटवारा हो। हम वह करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप वाकआउट करनेवाले हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमने आपकी पूरी बात सुनी है और अब आप भी हमारी पूरी बात सुन लें उसके बाद वाकआउट करेंगे। आपको भी न्याय देने के लिए हमारी बात सुननी चाहिए और तब वाकआउट करना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज जो विधि व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, इसमें कहने के लिए तो मेरे पास बहुत है लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि देहातों में जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वे जहाँ भी हैं जिस गाँव में हैं, जिस प्रखंड में हैं उनको भूमि सुधार के प्रश्नों को ठीक से लेना चाहिए क्योंकि हम सब जबतक इसको ठीक तरीके से नहीं लेंगे तबतक इसको दूर करना संभव नहीं होगा। इस प्रदेश से गरीबी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर भूमि सुधार करें। आपने जिन प्रश्नों को रखा है, मैंने सब सुना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सारे प्रश्नों का उत्तर दूँ। मैं यह भी प्रयास करता हूँ कि जो प्रश्न छूट गए हैं उनका उत्तर मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे विचारों से परिचित हो और हमारे विचारों से परिचित होकर एक ऐसा माहौल कायम करें कि हमारी जो विधि व्यवस्था है या और भी जो प्रश्न हैं उनसे हमें मुक्ति मिल सके। मैं माननीय सदस्यों का बहुत कृतज्ञ हूँ। माननीय सदस्य श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, श्री नीतिश कुमार सिंह जी ने और हमारे दल के जो लोग भाषण दिया उनलोगों ने सकारात्मक भावना का परिचय दिया। वीरेन्द्र बाबू ने कुछ लगाकर अपनी बातें कही हैं। श्री गणेश प्रसाद यादव जी ने भी सकारात्मक बात कही है और साथ-साथ कुंछ क्रिटिसिज्म भी किया।

श्री मुंशीलाल राय : नगमा–नोनही गाँव में जो पिउनिटिव टैक्स की बात थी और गरीबों पर अत्याचार की बात थी उस संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने कहा है कि इस प्रदेश में 1982 के बाद कानून के अन्तर्गत यह बात नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि यह बात किसी न किसी रूप में जहानाबाद में ही नहीं बल्कि बिहार प्रदेश के सारे लोगों को मालूम हो जाय कि जबतक सामन्तवादी लोग गरीबों की रक्षा नहीं करेंगे उनके साथ भी यही होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें और सदन से निवेदन करता हूँ कि वह सदन में प्रस्तुत माँग को पारित करे।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा के प्रतिकूल बात कही और वे बड़े–बड़े भूपतियों तथा अपराधकर्मी के आगे घुटने टेक दिया है इस स्थिति में मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि इस शीर्षक की माँग 10 रुपए से घटायी जाय''।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए 2,25,86,43,000 (दो अरब पच्चीस करोड़ छियासी

लाख तैंतालीस हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जायं।

(घंटी)

खड़े होकर मत दें।

अध्यक्ष : मतदान का फलन इस प्रकार है :

प्रस्ताव के पक्ष में - 150

प्रस्ताव के विपक्ष में - 48

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माँग स्वीकृत हुई।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है मैंने आपको लिख कर दिया है...

अध्यक्ष : अभी ध्यानाकर्षण होने दीजिये, आप बाद में हमसे बात कीजियेगा।

अत्यावश्यक लोकमहत्त्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण सूचनाएँ एवं उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री गणेश प्रसाद यादव, राजो सिंह एवं अन्य तीन सभासदों की पूर्व पठित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्रीमती उमा पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से जिन बिन्दुओं की ओर माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है उसकी स्थिति निम्न प्रकार है :